



भूकंप

//



भूकंप



के बारे में

- पृथ्वी का कंपन; ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं

अवकेंद्र (Hypocenter)


- वह स्थान जहाँ भूकंप का उद्गम होता है (पृथ्वी की सतह के नीचे)

अधिकेंद्र (Epicenter)

- अवकेंद्र के समीपस्थ स्थान (पृथ्वी की सतह पर)

भूकंपीय तरंगें

- भूगर्भीय तरंगें: पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं।
 - P तरंगें:** तीव्र गति से चलती हैं, ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं।
 - S तरंगें:** धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुँचती हैं, केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं।
- धरातलीय तरंगें: भूकंपलेखी (सिस्मोग्राफ) पर अंत में अभिलेखित होती हैं, अधिक विनाशकारी, शैलों/चट्टानों के विस्थापन का कारण बनती हैं
 - लव तरंगें:** लंबवत् विस्थापन के बिना S-तरंगों के समान गति (क्षैतिज), क्षैतिज गति प्रसार की दिशा के लंबवत्, रेले तरंगों की तुलना में तीव्र गति
 - रेले तरंगें:** भूमि पर दीर्घवृत्ताकार पथ में दोलन उत्पन्न करती हैं, सभी भूकंपीय तरंगों में से अधिकांश के प्रसार का कारण बनती हैं, एक ऊर्ध्वाधर ताल में लंबवत् व क्षैतिज रूप से गति करती हैं



भूकंप के कारण

- किसी भ्रंश/भ्रंश जोन के किनारे-किनारे ऊर्जा का निर्मुक्त होना (भूपर्पटी की शिलों में दरारें)
- टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन (सबसे सामान्य कारण)
- ज्वालामुखी विस्फोट (शैल के तनाव में परिवर्तन - मैग्मा का अन्तःक्षेपण/निकासी)
- मानवीय गतिविधियाँ (खनन, रसायनों/परमाणु उपकरणों का विस्फोटन आदि)

भारत में भूकंप


- तकनीकी रूप से सक्रिय पर्वतों- हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप से अत्यंत प्रभावित देशों में से एक है।
- भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों (II, III, IV, और V) में विभाजित किया गया है।

भूकंप का मापन

- भूकंपमापी (Seismometer)- भूकंपीय तरंगों को मापता है
- रिक्टर पैमाना (Richter Scale)- परिमाण को मापता है (निर्मुक्त ऊर्जा; सीमा: 0-10)
- मरकैली (Mercalli)- तीव्रता को मापता है (दृश्यमान क्षति; सीमा: 1-12)

वितरण

- परि-प्रशांत मेखला (Circum-Pacific Belt)- सभी भूकंपों का 81%
- अल्पाइड भूकंप मेखला (Alpide Earthquake Belt)- सबसे बड़े भूकंपों का 17%
- मध्य अटलांटिक कटक (Mid-Atlantic Ridge)- अधिकांशतः जल के नीचे डूबा हुआ



थाईलैंड में नष्ट हो रहे प्रवाल

प्रलमिस के लयि:

प्रवाल रीफ्स, ओवरफशिंग, प्रदूषण, जूज़ैन्थेले (Zooxanthellae), महासागर अम्लीकरण, प्रवाल ब्लीचिंग, इंटरनेशनल प्रवाल रीफ इनशिएटिवि, क्रायोमेश(Cryomesh), बायोरॉक तकनीक ।

मेन्स के लयि:

प्रवाल के प्रकार, प्रवाल रीफ का महत्त्व, प्रवाल की रक्षा के लयि पहल ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यह बात प्रकाश में आई है कएक तेज़ी से फैलने वाली बीमारी, जसि आमतौर पर **येलो बैंड डज़ीज़** के रूप में जाना जाता है, **थाईलैंड** के समुद्र तल के वशाल हसिसों में **प्रवाल** को नष्ट कर रही है ।

- वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण **ओवरफशिंग**, **प्रदूषण** और **पानी का बढ़ता तापमान**, चट्टानों को **येलो बैंड डज़ीज़** के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं ।

येलो बैंड डज़ीज़:

- प्रवाल को नष्ट करने से पहले **येलो बैंड डज़ीज़** इसे जसि रंग में बदल देता है, उसी के नाम पर इसे नामति कयिा गया है । दशकों पहले पहली बार यह देखा गया कइस डज़ीज़ ने कैरबियन में चट्टानों को व्यापक नुकसान पहुँचाया था । इसका अभी **कोई ज्ञात उपचार नहीं** है ।
- येलो बैंड रोग **पर्यावरणीय तनावों के संयोजन के कारण होता है, जसिमें पानी के तापमान, प्रदूषण और अवसादन** में वृद्धि के साथ-साथ अधिक वसितार के लयि अन्य जीवों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल है ।
 - ये कारक प्रवाल को कमज़ोर कर सकते हैं और इसे **बैक्टीरिया एवं कवक** जैसे रोगजनकों के संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं ।
- प्रवाल ब्लीचिंग** के प्रभावों के विपरीत रोग के प्रभाव को परिवर्तित नहीं कयिा जा सकता है ।

प्रवाल भतितः

- परचियः
 - प्रवाल समुद्री अकशुरुकी जीव हैं जो फाइलम नाइडेरिया में एंथोज़ोआ वर्ग से संबंधति हैं ।
 - वे सामान्यतः कई समान व्यक्तगित पॉलीप्स की कॉम्पैक्ट कॉलोनियों में रहते हैं ।
 - प्रवाल भतितः जल के नीचे का पारस्थितिक तंत्र है जो **प्रवाल पॉलीप्स** की कॉलोनियों से बने होते हैं ।
 - प्रवाल पॉलीप्स विभिन्न प्रकार के **प्रकाश संश्लेषक शैवाल** के साथ **सहजीवी संबंध** में रहते हैं, जनिहें **जूज़ैन्थेले(zooxanthellae)** कहा जाता है, वे उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं ।
 - ये शैवाल **प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रवाल को ऊर्जा** प्रदान करते हैं, जबकि **प्रवाल शैवाल को एक संरक्षति वातावरण** और यौगिक प्रदान करता है, उन्हें विकास की आवश्यकता होती है ।
- प्रवाल के प्रकारः
 - कठोर प्रवालः
 - वे कठोर, सफेद प्रवाल **एकसोस्केलेटन** बनाने के लयि समुद्री जल से **कैल्शियम कार्बोनेट** निकालते हैं ।
 - वे एक तरह से **रीफ इकोसिस्टम के इंजीनियर** हैं, प्रवाल भतितः की स्थतिको मापने के लयि कठोर प्रवाल की सीमा को मापना व्यापक रूप से एक स्वीकृत मीटरकि है ।
 - नरम प्रवालः
 - वे ऐसे **कंकालों** के साथ-साथ अपने पूरवजों द्वारा बनाए गए **पुराने कंकालों** से जुडे रहते हैं ।
 - सॉफ्ट/कोमल प्रवाल आमतौर पर **गहरे पानी में पाए जाते हैं** और कठोर प्रवाल की तुलना में कम पाए जाते हैं ।
- महत्त्वः
 - पारस्थतिकीय महत्त्व**: प्रवाल भतितः पृथ्वी पर सबसे विविधि और उत्पादक पारस्थतिक तंत्रों में से हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधों

और जीव-जंतुओं की प्रजातियों के लिये आवास प्रदान करती हैं।

- वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और तटरेखाओं को कटाव तथा तूफान से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान कर हमारे ग्रह की जलवायु को वनियमिति करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- आर्थिक महत्त्व: प्रवाल भित्तियाँ मछली पालन, पर्यटन और मनोरंजन सहित विभिन्न प्रकार के उद्योगों को सहायता प्रदान करती हैं। वे चिकित्सीय तथा जैव प्रौद्योगिकी के लिये संसाधन भी प्रदान करते हैं।
- जलवायु नियमन: प्रवाल भित्तियाँ लहरों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, तटों की रक्षा करती हैं और तूफानों तथा समुद्र के सतर में वृद्धि के प्रभाव को कम करती हैं, इस प्रकार वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में प्राकृतिक बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करती हैं।
- जैवविविधता: प्रवाल भित्तियाँ मछलियों, शार्क, क्रस्टेशियन (Crustaceans), मोलस्क (Mollusks) और कई अन्य समुद्री जीवों का आवास हैं। एक प्रकार से यह समुद्र का वर्षावन है।

■ खतरे:

- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरीय अम्लीकरण और प्रवाल वरिजन प्रवाल भित्तियों के लिये विशेष रूप से खतरनाक हैं।
 - प्रवाल वरिजन तब होता है जब प्रवाल/प्रवाल पॉलीप्स अपने ऊतकों में रहने वाले शैवाल (जूजैन्थेले) को बाहर निकाल देते हैं, जिस कारण प्रवाल का रंग पूरी तरह से सफेद हो जाता है।
- प्रदूषण: सीवेज, कृषि अपवाह और औद्योगिक नरिहन सहित प्रदूषण प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के लिये चिंता का विषय है।
 - साथ ही प्रदूषक तत्त्व उनके लिये कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं और रीफ पारस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं।
- ओवरफिशिंग: ओवरफिशिंग में प्रवाल भित्तियों के संवेदनशील पारस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवाल की संख्या में गिरावट आ सकती है।
- तटीय विकास: बंदरगाहों, मैरीना (बंदरगाह के पास मनोरंजन, नौका वहार के लिये छोटा जल-क्षेत्र) और अन्य बुनियादी ढाँचे का निर्माण, प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुँचा सकता है तथा रीफ पारस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है।
- अक्रामक प्रजातियाँ: लायनफिश जैसी अक्रामक प्रजातियाँ भी प्रवाल भित्तियों हेतु खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।

■ प्रवाल भित्तिके संरक्षण हेतु पहल:

- तकनीकी हस्तक्षेप:
 - क्रायोमेश: - 196 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाल लार्वा का भंडारण कर बाद में उन्हें समुद्र में छोड़ देना
 - बायोरॉक: कृत्रिम चट्टानें बनाना जिन पर प्रवाल तेज़ी से बढ़ सकता है
- भारत:
 - राष्ट्रीय तटीय मशिन कार्यक्रम
- वैश्विक:
 - अंतरराष्ट्रीय प्रवाल भित्ति पहल
 - वैश्विक प्रवाल भित्ति अनुसंधान एवं विकास त्वरक मंच

इन्फोग्राफिक: प्रवाल भित्ति

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: नमिनलखिति स्थितियों में से कसि एक में “जैवशैल प्रौद्योगिकी (बायोरॉक टेक्नोलॉजी)” की बातें होती हैं? (2022)

- (a) क्षतगिरस्त प्रवाल भित्तियों (प्रवाल रीफ्स) की बहाली
- (b) पादप अवशेषों का प्रयोग कर भवन-निर्माण सामग्री का विकास
- (c) शैल गैस के अन्वेषण/निष्कर्षण के लिये क्षेत्रों की पहचान करना
- (d) वनों/संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिये लवण-लेहिकाएँ (साल्ट लैक्स) उपलब्ध कराना

उत्तर: (a)

प्रश्न. नमिनलखिति समूहों में से कनिमें ऐसी जातियाँ होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? (2021)

1. नाइडेरिया
2. कवक (फंजाई)
3. आदजंतु (प्रोटोजोआ)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. वशिव की अधकिंश प्रवाल भत्तियीं उषणकटबिधीय जल में हैं ।
2. दुनयि की एक-तहिई से अधकि प्रवाल भत्तियीं ऑस्ट्रेलयि, इंडोनेशयि और फलीपीस के कषेत्रों में स्थति हैं ।
3. उषणकटबिधीय वर्षावनों की तुलना में प्रवाल भत्तियीं कही अधकि संख्या में जंतु संघों की मेज़बानी करती हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कनिमें प्रवाल भत्तियीं पाई जाती हैं? (2014)

1. अंडमान और नकिोबार द्वीप समूह
2. कच्छ की खाड़ी
3. मन्नार की खाड़ी
4. सुंदरबन

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

प्रश्न. उदाहरण के साथ प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वारमगि के प्रभाव का आकलन कीजयि । (मुख्य परीक्षा, 2019)

[स्रोत: द हट्टि](#)

सर्वोच्च न्यायालय ने नषिक्रयि इच्छामृत्यु के नियमों को बनाया आसान

प्रलिमिंस के लयि:

नषिक्रयि इच्छामृत्यु, राष्ट्रीय स्वास्थय डजिटिल रकिॉर्ड, अनुच्छेद 21, लविगि वलि ।

मेन्स के लयि:

भारत में नषिक्रयि इच्छामृत्यु, इच्छामृत्यु के दशिा-नरिदेशों में प्रमुख परिवर्तन ।

चर्चा में क्यों?

भारत में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [नषिक्रयि इच्छामृत्यु](#) के नियमों में बदलाव कयि है, इसका प्राथमकि उद्देश्य इसे आसान बनाने के साथ ही कम समय लेने वाली प्रक्रयि बनाना है ।

दशा-नरिदेशों में प्रमुख परिवर्तन:

- सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल (प्रतहिस्ताक्षरति/लखिति बयान) को प्रमाणित करने या प्रतहिस्ताक्षरति करने के लिये न्यायकि मजसिदरेट की आवश्यकता को खत्म करने हेतु पछिले नरिणय को बदल दिया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति के लिये वैध वसीयत बनाने हेतु नोटरी या राजपत्रति अधिकारी द्वारा सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, लिविंग विल को संबंधित ज़िला न्यायालय की नगिरानी में रखने के बजाय यह दस्तावेज़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य डजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा होगा जिसे देश के किसी भी भाग में अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा एक्सेस (पहुँच की सुविधा) किया जा सकता है।
- यदि अस्पताल का मेडिकल बोर्ड चकितिसा उपचार वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो रोगी के परिवार के सदस्य संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, जो अंतिम नरिणय लेने के लिये चकितिसा वशिषज्जों का एक नया बोर्ड नियुक्त करता है।

THE CHANGES BROUGHT

NOW

EARLIER

Living will

An attestation by a notary or a Gazetted officer to be sufficient for a living will

It was necessary that a judicial magistrate attest or countersign a living will

Access to the living will

Living will a part of national health record which can be accessed by Indian hospitals

Living will was kept in the custody of the district court concerned

Primary board to examine patient's condition

Three doctors, including treating physician and two other doctors with five years of experience in the specialty, will comprise the primary board of doctors

Primary board of doctors needs at least four experts from general medicine, cardiology, neurology, nephrology, psychiatry or oncology with overall standing of at least 20 years

Time taken to decide

Primary/secondary board to decide within 48 hours on withdrawal of further treatment

The 2018 judgment did not specify any outer limit on withdrawal of treatment

Secondary board

Hospital must immediately constitute a secondary board of medical experts

The district collector had to constitute the second board of medical experts

नष्क्रियि इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia):

- परिचय:
 - नष्क्रियि (Passive) इच्छामृत्यु चकितिसा उपचार को रोकने या वापस लेने का कार्य है, जैसे कि किसी व्यक्ति को मरने की अनुमति देने के उद्देश्य से जीवन समर्थन उपकरणों को रोकना या वापस लेना है।
 - यह सक्रियि इच्छामृत्यु के विपरीत है, जिसमें सक्रियि हस्तक्षेप के माध्यम से किसी पदार्थ या बाहरी बल द्वारा व्यक्ति के जीवन को समाप्त किया जाना शामिल है, जैसे कि घातक इंजेक्शन देना।
- भारत में इच्छामृत्यु:
 - एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में नष्क्रियि इच्छामृत्यु को यह कहते हुए वैध कर दिया था कि

यह 'लविगि वलि' का वषिय है।

- फ़ैसले के अनुसार, अपने चेतन मन से एक वयस्क को चकितिसा उपचार से इनकार करने या स्वेच्छा से कुछ शर्तों के तहत प्राकृतिक तरीके से मृत्यु को गले लगाने हेतु चकितिसा उपचार नहीं लेने का नरिणय लेने की अनुमति है।
- इसमें गंभीर रूप से बीमार रोगियों द्वारा बनाई गई 'लविगि वलि' के लिये दशा-नरिदेश भी नरिधारति किये गए हैं।
- अदालत ने वशिष रूप से कहा कि "मृत्यु की प्रकरिया में गरमि [अनुच्छेद 21](#) के तहत जीवन के अधिकार का एक हसिसा है। कसिी व्यक्ती को जीवन के अंत में गरमि से वंचति करना व्यक्ती को एक सार्थक असत्तवि से वंचति करना है।"

■ **इच्छामृत्यु वाले वभिनिन देश:**

- **नीदरलैंड, लक्ज़मबर्ग, बेल्जियम** कसिी भी ऐसे व्यक्ती, जो "असहनीय पीड़ा" का सामना करता है और जसिके स्वास्थय में सुधार की कोई संभावना नहीं है, को इच्छामृत्यु एवं सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति देते हैं।
- स्वटिज़रलैंड में इच्छामृत्यु प्रतबिंधति है लेकिन कसिी डॉक्टर या चकितिसीय पेशेवर की उपस्थतितथा सहायता से मृत्यु प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- **कनाडा** ने घोषणा की थी कि मार्च 2023 तक मानसकि रूप से बीमार रोगियों को इच्छामृत्यु और अससिटेड डाइंग की अनुमति दी जाएगी; हालाँकि इस नरिणय की व्यापक रूप से आलोचना की गई है और इस कदम में कुछ बदलाव भी किये जा सकते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के वभिनिन राज्यों में अलग-अलग कानून हैं। वाशगिटन, ओरेगन और मोंटाना जैसे कुछ राज्यों में इच्छामृत्यु की अनुमति है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षति कया गया है। भारत के संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचति ढंग से अर्थति होता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दयि राज्य के नीतनरिदेशक तत्त्व।
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

उत्तर: c

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

भारत-मसिर संबंध

प्रलिमिस के लयि:

गुटनरिपेक्ष आंदोलन (NAM), इस्लामकि सहयोग संगठन (OIC), गणतंत्र दविस

मेन्स के लयि:

भारत और मसिर के बीच संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 74वें [गणतंत्र दविस](#) के अवसर पर मसिर के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सिसी को मुख्य अतथिके रूप में आमंत्रति कया गया। यह पहली बार है जब मसिर के कसिी राष्ट्रपति को यह सम्मान दया गया है।

- इस अवसर पर परेड में मसिर की एक सैन्य टुकड़ी ने भी भाग लया।

नोट: मुख्य अतथिके तौर पर आमंत्रण महत्त्वपूर्ण सम्मान है, इसका प्रतीकात्मक महत्त्व बहुत अधिक है। प्रत्येक वर्ष मुख्य अतथिके रूप में नई दलिली की पसंद कई कारणों- रणनीतिक और कूटनीतिक, व्यावसायिक हति तथा भू-राजनीतिसे तय होती है।



भारत-मिस्र संबंध:

■ इतिहास:

- विश्व की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं, यथा- भारत और मिस्र के बीच संपर्क का इतिहास काफी पुराना है और **इसका पता सम्राट अशोक के समय से लगाया जा सकता है।**
 - अशोक के अभिलेखों में टॉलेमी-द्वितीय के तहत मिस्र के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है।
- आधुनिक काल में **महात्मा गांधी** और मिस्र के क्रांतिकारी **साद जगलुल** का साझा लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से **स्वतंत्रता प्राप्त करना** था।
 - 18 अगस्त, 1947 को राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंधों की स्थापना की संयुक्त रूप से घोषणा की गई थी।
- **वर्ष 1955 में भारत और मिस्र ने एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किये।** वर्ष 1961 में भारत और मिस्र ने यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एवं घाना के साथ **गुटनरिपेकष आंदोलन (Non-Aligned Movement- NAM)** की स्थापना की।
- वर्ष 2016 में भारत और मिस्र ने राजनीतिक-सुरक्षा सहयोग, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक सहयोग तथा लोगों के बीच संबंधों के सिद्धांतों पर एक नए युग के लिये **नई साझेदारी बनाने के अपने इरादे को रेखांकित करते हुए एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया।**

■ वर्तमान परिदृश्य:

- इस वर्ष की बैठक के दौरान **भारत और मिस्र दोनों द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" के रूप में बेहतर बनाने पर सहमत हुए।**
 - रणनीतिक साझेदारी के **मोटे तौर पर चार तत्त्व होंगे:** राजनीतिक; रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक सहयोग, सांस्कृतिक एवं लोगों बीच संपर्क।
- भारत एवं मिस्र ने **प्रसार भारती** और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच वषिय-सामग्री वनिमिय, कषमता नरिमाण तथा सह-नरिमाण की सुवधि हेतु तीन वर्ष के लिये **समझौता जज्ञापन (Memorandum of Understanding -MoU)** पर हस्ताक्षर किये।
 - इस समझौते के तहत **दोनों प्रसारक द्विपक्षीय आधार पर खेल, समाचार, संस्कृति, मनोरंजन जैसी वभिन्न शैलियों के अपने कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।**

■ OIC में भागीदार:

- **भारत, मिस्र को मुसलमि-बहुल देशों के बीच एक उदार इस्लामी देश के रूप में और **इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization for Islamic Cooperation -OIC)** में एक भागीदार के रूप में देखता है।**

■ आतंकवाद और सुरक्षा:

- इस गणतंत्र दविस की बैठक के दौरान भारत और मिस्र ने विश्व भर में **फैल रहे आतंकवाद** को लेकर चलिा व्यक्त की क्योकि यह मानवता के लिये सबसे गंभीर खतरा है। नतीजतन, दोनों देश इस बात पर सहमत हुए **कसीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिये ठोस कार्रवाई की जानी आवश्यक है।**

- दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने पर ज़ोर दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों की वायु सेनाओं ने 1960 के दशक में लड़ाकू विमानों के विकास पर सहयोग किया तथा भारतीय पायलटों ने 1960 के दशक से 1980 के दशक के मध्य तक मसिर के समकक्ष पायलटों को प्रशिक्षण दिया।
 - **भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF)** और मसिर की वायु सेना दोनों ही फ़्राँसीसी **राफ़ेल लड़ाकू जेट** का उपयोग करते हैं।
 - वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे जिसमें अभ्यास में भाग लेने और प्रशिक्षण में सहयोग करने का भी फैसला किया गया है।
 - भारतीय सेना और मसिर की सेना के बीच पहला संयुक्त विशेष बल अभ्यास, "अभ्यास चक्रवात- I" 14 जनवरी, 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में चल रहा है।
- **सांस्कृतिक संबंध:**
- वर्ष 1992 में काहिरा में मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर (MACIC) की स्थापना हुई। यह केंद्र दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता रहा है।
- **मसिर के समकक्ष चुनौतियाँ:**
- मसिर की अर्थव्यवस्था पछिले कुछ वर्षों में महामारी और **रूस-यूक्रेन युद्ध** के कारण संकटपूर्ण रही है, जिसने मसिर द्वारा रूस एवं यूक्रेन से आयात किये जाने वाले लगभग **80% खाद्यान्न की आपूर्ति और मसिर के वदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित किया।**
 - वर्ष 2022 में **गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध** के बावजूद भारत ने मसिर को 61,500 मीट्रिक टन के शिपमेंट की अनुमति दी।
 - मसिर द्वारा भारत से मेट्रो परियोजनाओं, **स्वेज़ नहर** आर्थिक क्षेत्र, स्वेज़ नहर में दूसरा चैनल और मसिर में एक नई प्रशासनिक राजधानी सहित बुनियादी ढाँचे में निवेश हेतु सहयोग की मांग की जा रही है।
 - **50 से अधिक भारतीय कंपनियों** ने मसिर में 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है।
- **भू-सामरिक चिंताएँ:**
- मसिर के साथ चीन का द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में **15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो वर्ष 2021-22 में भारत के 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना है।** पछिले आठ वर्षों के दौरान चीनी निवेश को लुभाने के लिये मसिर के राष्ट्रपति ने सात बार चीन की यात्रा की है।
 - पश्चिम एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश मसिर, एक महत्त्वपूर्ण भू-रणनीतिक स्थान पर है क्योंकि वैश्विक व्यापार का 12% स्वेज़ नहर से होकर गुजरता है जो **मसिर का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।**
 - यह भारत के लिये एक प्रमुख बाज़ार है और **यूरोप** तथा **अफ्रीका** दोनों के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। हालाँकि इसके महत्त्वपूर्ण पश्चिम- एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते भी हैं जो भारत के लिये चिंता का विषय है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. 1956 में स्वेज़ संकट कनि घटनाओं के कारण हुआ? इसने विश्व शक्तियों के रूप में ब्रिटन की स्वयं की छवि को अंतिम झटका कैसे दिया? (2014)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

स्मारक मतिर योजना

प्रलिमिंस के लिये:

स्मारक मतिर योजना, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, एडॉप्ट ए हेरिटिज, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटिज (INTACH), नेशनल मशिन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटिज़ (NMMA), 2007, प्रोजेक्ट मौसम।

मेन्स के लिये:

वरािसत का महत्त्व, भारत में वरािसत प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, वरािसत प्रबंधन संबंधी सरकारी पहल।

चर्चा में क्यों?

नजी कंपनी जल्द ही **स्मारक मतिर योजना** के तहत 1,000 स्मारकों के रखरखाव के लिये **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण** के साथ साझेदारी करने में सक्षम होंगी, जिसमें **वरािसत स्थलों को अपनाना और उनका रखरखाव करना शामिल है।**

- संशोधित योजना **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** मॉडल पर आधारित होगी और सभी वरिष्ठ स्थलों के नाम वाली एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी।

स्मारक मतिर योजना:

- **स्मारक मतिर** शब्द '**एडॉप्ट ए हेरिटेज**' परियोजना के तहत सरकार के साथ भागीदारी करने वाली इकाई को संदर्भित करता है।
 - इसे पहले **पर्यटन मंत्रालय** के तहत लॉन्च किया गया था और फरि इसे **संस्कृतमंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया**।
- इस परियोजना का उद्देश्य कॉरपोरेट संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या व्यक्तियों को 'अपनाने' के लिये आमंत्रित करके पूरे भारत में **स्मारकों, वरिष्ठ और पर्यटन स्थलों को विकसित करना है**।

वरिष्ठ:

- **परिचय:**
 - **वरिष्ठ** का मतलब उन इमारतों, कलाकृतियों, संरचनाओं, क्षेत्रों और परिसरों से है जो ऐतिहासिक, साँदर्यवादी, वास्तुशिल्प, पारिस्थितिक या साँस्कृतिक महत्त्व के हैं।
 - यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि किसी वरिष्ठ स्थल के आसपास का 'साँस्कृतिक परिदृश्य' स्थल इसकी निर्मित वरिष्ठ की व्याख्या के लिये महत्त्वपूर्ण है और इस प्रकार इसका एक अभिन्न अंग है।
 - तीन प्रमुख अवधारणाएँ जिनके आधार पर यह निर्धारित करने पर विचार किया जा सकता है कि किसी संपत्ति को वरिष्ठ के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है या नहीं:
 - ऐतिहासिक महत्त्व
 - ऐतिहासिक अखंडता
 - ऐतिहासिक संदर्भ
 - भारतीय वरिष्ठ में पुरातात्विक स्थल, अवशेष, खंडहर शामिल हैं। देश में '**स्मारक और स्थलों**' के प्राथमिक संरक्षक, यानी **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** और समकक्ष उनकी रक्षा करते हैं।
- **महत्त्व:**
 - **भारतीय इतिहास के कहानीकार: वरिष्ठ भौतिक और अमूर्त हैं** जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, संरक्षित हैं और निरंतर आगे बढ़ रही हैं।
 - वरिष्ठ आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्त्व के साथ भारतीय समाज के ताने-बाने में बुनी गई हैं।
 - **विविधता को अपनाना:** भारत की वरिष्ठ अपने आप में विभिन्नता, समुदायों, रीति-रिवाजों, परंपराओं, धर्मों, संस्कृतियों, विश्वासों, भाषाओं, जातियों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का संग्रहालय है।
 - **आर्थिक योगदान:** भारत में वरिष्ठ स्थलों का अत्यधिक आर्थिक महत्त्व है।
 - ये स्थल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो आवास, परिवहन और स्मारक विक्रेता जैसी पर्यटन संबंधी गतिविधियों के माध्यम से सरकार तथा स्थानीय समुदायों के लिये राजस्व उत्पन्न करते हैं।
- **भारत में वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित मुद्दे:**
 - **वरिष्ठ स्थलों के लिये केंद्रीकृत डेटाबेस का अभाव:** भारत में वरिष्ठ संरचना के राज्यवार वितरण के साथ एक पूर्ण राष्ट्रीय स्तर के डेटाबेस का अभाव है।
 - हालाँकि 'इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज' (INTACH) ने 150 शहरों में लगभग 60,000 इमारतों को सूचीबद्ध किया है, लेकिन यह मामूली प्रयास ही माना जा सकता है।
 - **धरोहर स्थलों पर अतिक्रमण:** कई प्राचीन स्मारकों का स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और स्मारक विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है।
 - इन संरचनाओं और स्मारकों या आसपास की स्थापत्य शैली के बीच कोई सामंजस्य नहीं है।
 - दृष्टांत के लिये **भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की 2013** की रिपोर्ट के अनुसार, ताजमहल परिसर खान-ए-आलम बाग के निकट अतिक्रमण का शिकार पाया गया।
 - **मानव संसाधन की कमी:** स्मारकों की देखभाल और संरक्षण गतिविधियों के लिये कुशल एवं सक्षम मानव संसाधन की कमी **ASI जैसी एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है**।
- **धरोहर संरक्षण से संबंधित सरकार की प्रमुख पहलें:**
 - **राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन (National Mission on Monuments and Antiquities- NMMA), 2007**
 - **प्रोजेक्ट मौसम**

भारत में वरिष्ठ स्थलों को कैसे नया रूप दिया जा सकता है?

- '**स्मार्ट सटी, स्मार्ट हेरिटेज**': सभी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये **धरोहर प्रभाव आकलन (Heritage Impact Assessment)** पर विचार करना आवश्यक है।
 - **धरोहर पहचान और संरक्षण परियोजनाओं (Heritage Identification and Conservation Projects)** को शहर के मास्टर प्लान से जोड़ने तथा स्मार्ट सटी पहल के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- **संलग्नता बढ़ाने के लिये अभिनव रणनीतियाँ:** ऐसे स्मारक जो बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित नहीं करते हैं और साँस्कृतिक/धार्मिक रूप से संवेदनशील नहीं हैं, साँस्कृतिक एवं विवाह कार्यक्रमों आदि के आयोजन स्थल के रूप में उपयोग किये जा सकते हैं, जो नमिन्लिखित दोहरे उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं:
 - संबंधित अमूर्त धरोहर का प्रचार।

- ऐसे स्थलों पर आगंतुकों की संख्या को बढ़ाना ।
- जलवायु कार्रवाई के साथ धरोहर संरक्षण को संबद्ध करना: धरोहर स्थल जलवायु संचार और शिक्षा के अवसरों के रूप में कार्य कर सकते हैं । इसके साथ ही बदलती जलवायु स्थितियों के संबंध में पछिली प्रतिक्रियाओं को समझने के लिये ऐतिहासिकस्थलों एवं अभ्यासों पर शोध से अनुकूलन तथा शमन योजनाकारों को ऐसी रणनीतियाँ विकसित करने में मदद मिल सकती है जो प्राकृतिक विज्ञान और सांस्कृतिक वरिसत को एकीकृत करती हैं ।
 - उदाहरण के लिये **माजली** द्वीप के समुदायों जैसे- तटीय और नदीवासी समुदाय सदियों से बदलते जल स्तर के साथ रह रहे हैं और इसके अनुकूल बन रहे हैं ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारतीय कला वरिसत का संरक्षण समय की आवश्यकता है । चर्चा कीजिये । (2018)

प्रश्न. भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों एवं उनकी कला की कल्पना तथा उन्हें आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाई । चर्चा कीजिये । (2020)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernce URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/27-01-2023/print>

